(3)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आदेश. वाद सं० -14/21-22	
30/03/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद आवेदक के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदक प्रथम पक्ष के अनुसार बिरनी अंचल के हल्का-7 अंतर्गत मौजा- करमा, थाना सं० -165 में स्थित खाता- 2, प्लाट-637 रकबा- 2.68 एकड़ भूमि आवेदक के पिता निरपत महतो के नाम से वर्ष 1948 में हुकमनामा से प्राप्त है तथा उस समय से आवेदक के पिता दखलकार होकर रसीद कटाते रह रहे हैं। वर्ष 2017-18 में बिरनी अंचल में कार्यरत राजस्व कर्मचारी नवीन सिंह की मिलीभगत से आवेदक के पिता के नाम से चल रही जमाबंदी के मूल पंजी-2 में द्वितीय पक्ष ने अपना नाम दीपन महतो अंकित करवा लिया। हल्का कर्मचारी ने बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से विपक्षी का नाम जमाबंदी पंजी में जोड़ दिया। ~~गया~~ इस सम्बन्ध में अंचल अधिकारी, बिरनी द्वारा कागजातों की जाँच कराई गई। हल्का कर्मचारी द्वारा	

(५)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	समर्पित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 10.09.2020 में स्पष्ट लिखा गया है कि तत्कालीन कर्मचारी के द्वारा दिखलाया गया जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होता है। उक्त वर्णित भूमि का मूल दस्तावेज सिर्फ निरपत महतो के नाम से है और वर्षों से निरपत महतो के नाम से ही जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है ऐसे में राजस्व कर्मचारी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश प्राप्त किये निरपत महतो वो दीपन महतो के नाम से रसीद निर्गत कर दिये तथा पंजी-II में दीपन महतो का नाम जोड़ दिया गया। द्वितीय पक्ष के पुत्र राजेश कुमार यादव ने अंचल अधिकारी बिरनी को आवेदन दिया जिसकी जाँच हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से कराई गई जिसमें अंचल अधिकारी को प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत जमाबंदी संदेहास्पद है। अतः निरपत महतो के नाम पर चल रहे जमाबंदी को कायम रखा जाये तथा दीपन महतो के नाम को विलोपित किया जाये।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन 10/09/2020 की छाया प्रति, लगान रसीद सं. 029308 की छायाप्रति, लगान रसीद सं० - 086454 की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित अभिकथन दाखिल किया गया। साथ ही मौखिक रूप से भी अपनी बातों को रखा गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार उभय पक्ष एक ही वंशावृक्ष से आते हैं और वर्ष 2007 से पूर्व सम्मिलित खाना-पिना, रहन-सहन किया करते थे। वर्तमान में प्रथम पक्ष के नियत में बदलाव आ गया है, अतः द्वितीय पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दायर किये हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा सारा जमीन सम्बन्धी दस्तावेज अपने पास रख लिया गया है। उल्लेखनीय है कि उभय पक्ष चल-अचल सम्पत्ति सम्मिलित हासिल किये हैं। अभी वादी द्वारा पंजी-II से प्रतिवादी जो उनके चाचा हैं का नाम हटाने के प्रयास किया जा रहा है। प्रथम पक्ष (वादी) द्वारा दाखिल लगान रसीद व पंजी II में अंकित क्रम में अंतर है तथा अपठनीय

(6)

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4 1	2	3
	है। अतः प्रथम पक्ष का दावा गलत है तथा तथ्यहीन है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में पंजी-II की छायाप्रति, ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति, अंचल अधिकारी बिरनी का प्रतिवेदन ज्ञापांक 759, दिनांक-13/10/2020 की छायाप्रति, वर्ष 2016-2017 का लगान रसीद की छाया प्रति, ग्रामीण पंचनामा की छाया प्रति, अंचल अमीन के प्रतिवेदन की छायाप्रति दाखिल किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा पृथक लिखित अभिकथन भी दाखिल किया गया दीपन महतो के नाम को दर्ज किये जाने को गलत बताया गया। उभय पक्षों के दलील एवं दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रश्न उठता है कि क्या हल्का कर्मचारी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के पंजी-II में की प्रविष्टि कर सकता है? स्पष्टतया इसका उत्तर नकारात्मक है। हल्का कर्मचारी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के पंजी-II में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। साथ ही यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो पदाधिकारी के आदेश का उल्लेख करना आवश्यक है।	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
5 1	2	3

आवेदक द्वारा दो जगान रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है जो वर्ष 1964 एवं वर्ष 2015 में निर्गत है जो मात्र निरंजन महतो के नाम से निर्गत है। साथ ही प्रथम पक्ष के द्वारा अंचल अधिकारी बिरनी को समर्पित हलका कर्मचारी एवं प्रधान सहायक प्रतिवेदन की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि चालू जमाबंदी में पृष्ठ संo - 163/3 में जो जमाबंदी चल रही है उसे पुराना पंजी-II के पृष्ठ संo - 142 के फट जाने के कारण लाया गया है, जबकि ग्राम - करमा में पृष्ठ 1 से 48 पृष्ठ तक जमाबंदी कायम है तथा ग्राम - चोगारबार में पृष्ठ संo - 57 से 83 तक ही जमाबंदी कायम है। अतः चालू जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होता है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा 2015 के पूर्व का कोई जगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि उभय पक्षों की सम्मिलात जमाबंदी कायम थी।

उक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पंजी - II में छेड़-छाड़,

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6 1	2	3
	कर द्वितीय पक्ष के नाम को जोड़ कर सम्मिलित रसीद निर्गत किया गया है। अतः जारी लगान जमाबंदी से रिपन महतो के नाम को विलोपित करने का आदेश देता हूँ। साथ ही अंचल अधिकारी बिरनी को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन हलका कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी बिरनी को इस आदेश से अवगत करावें। (ह०) 31/03/22 LRDC.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.03.31 17:03:25 +05:30
Location: 192.168.1.7